निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 21 पटना, बुधवार, 2 ज्येष्ठ 1940 (श0)
23 मई 2018 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-4
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	5-5
पूरक	---
पूरक-क	6-19

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

परिवहन विभाग

अधिसूचना

17 मई 2018

सं0 05/स्था0 (DTO)–30/2013/3306—मो0 तारिक इकबाल, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी चम्पारण को जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

2. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो0 तारिक इकबाल के स्थान पर श्री राजीव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार राय, उप–सचिव।

लोकायुक्त कार्यालय

4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1

अधिसूचना

5 अप्रील 2018

सं0 3/लोक (स्थापना)28/2001—353/लोक

विषयः–**प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति।**

बिहार लोकायुक्त (सेवा शर्त्त) नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 एवं बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011 की धारा 10 के आलोक में इस कार्यालय में रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के चार पदों पर वेतन बैंड–9300–34800 पे बैण्ड–2 ग्रेड पे–4800 (प्रतिस्थानी सातवाँ वेतन पुनरीक्षण लेवल 9) में वरीयता क्रमानुसार निम्नांकित सहायकों को उनके योगदान की तिथि से प्रोन्नति दी जाती हैः–

1. **श्री अमरेश कुमार, सहायक**
2. **श्री शशिभूषण उराँव, सहायक**
3. **श्री शंकर प्रसाद केडिया, सहायक**
4. **श्री संतोष कुमार, सहायक**

2. प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का वित्तीय लाभ इनके योगदान की तिथि से देय होगा।

3 इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञपांक 4800 दिनांक 01.04.2016 के कंडिका 11 (पअ) के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0(सी0) संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव–सह–सचिव (प्रभारी)।

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

अधिसूचनाएं

28 मार्च 2018

सं० ल०सि०ग०–07/2018/125—राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजना–लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना (आर० एम० आई० एस०) के अंतर्गत भारत सरकार की अनुशंसा एवं शत–प्रतिशत अनुदान राशि पर लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 कराने का निर्णय लिया गया है।

लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को लघु सिंचाई गणना आयुक्त घोषित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पूनम, विशेष सचिव।

28 मार्च 2018

सं० ल०सि०ग०–07/2018/126––राज्य में केन्द्रीय योजनागत योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण (**RATIONALIZATION OF MINOR IRRIGATION STATISTICS, RMIS**)योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान पर लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना सन्दर्भ वर्ष 2017–18 के त्वरित संचालन हेतु राज्य/जिला स्तरीय संचालन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है जिसका गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः–

(क) राज्य स्तर

(i)	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
(iii)	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	–	सदस्य सचिव
(iv)	अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
(v)	अपर महानिदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, NSSO (FOD) बिहार, पटना।	–	सदस्य
(vi)	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग(CWC) बिहार	–	सदस्य
(vii)	क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भू–जल निगम (CGWB) के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(viii)	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनोनित वरीय पदाधिकारी	–	सदस्य
(ix)	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मनोनित वरीय पदाधिकारी	–	सदस्य
(x)	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा मनोनित वरीय पदाधिकारी	–	सदस्य
(xi)	प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा मनोनित वरीय पदाधिकारी	–	सदस्य
(xii)	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, पटना (मीठापुर)	–	सदस्य

(ख) जिला स्तर

(i)	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त	–	सदस्य
(iii)	अपर समाहर्त्ता	–	सदस्य
(iv)	जिला अंतर्गत सभी अधीक्षण/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग	–	सदस्य
(v)	जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
(vi)	जिला अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग (PHED)	–	सदस्य
(vii)	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

2. इस समिति की बैठक दो माह में आयोजित होगी। जिला समिति के निम्नलिखित कार्य होगेंः–

(i) लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना के सम्पादन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

(ii) सदस्य सचिव द्वारा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(iii) लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण अन्य कार्यक्रमों के त्वरित निष्पादन हेतु परामर्श देना। आदेश निर्गत की तिथि से यह समिति प्रभावी होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पूनम, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9––571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
शुद्धि–पत्र

अधिसूचना
27 मार्च 2018

सं0 9/आ0अरा0उ0–04–20/2012–1108––अधिसूचना संख्या–765 दिनांक 06.03.2018 की कंडिका–8 में ''पत्रांक–1599 दिनांक 13.07.2018'' के स्थान पर ''पत्रांक–1599 दिनांक 13.02.2018'' एवं कंडिका–''12'' के स्थान पर ''11'' पढ़ा जाय। इस अंश तक अधिसूचना संशोधित मानी जायेगी।

2. अधिसूचना की अन्य शर्त्ते यथावत रहेंगी।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9––571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

_____

No. 677—I, Varsha w/o Sri Sanjeet Kumar, resident of Bari Dariapur, Near Kali Asthan, PO & PS Jamalpur, Dist. Munger-811214 (Bihar) do hereby solomnly affirm and declare that I have married with Sri Sanjeet Kumar and as such I have added surname as "Sanjeet Kumar" in my name so Varsha and Varsha Sanjeet Kumar are both the same and one person as per affidavit no. 328/2017 dated 16/12/2017 will be used for all purposes.

Varsha.

_____

सं0 689—मै, कुमारी अनुभूति पाण्डेय पिता अजित कुमार पाण्डेय, पता, पर्ण कुटी दूसरा तल्ला, खेतान लेन, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड पटना पिन 800001, शपथ पत्र संख्या 2146 दिनांक 26.02.2018के आधार पर अपना नाम परिवर्तन करते हुए अनुभूति चौधरी कर लिया हूँ | अब मै अनुभूति चौधरी के नाम से पहचानी जाऊंगी|

कुमारी अनुभूति पाण्डेय|

No. 689—I, Kumari Anubhuti Pandey D/O Ajit Kumar Pandey , R/O 2nd Floor Parnkutir Khaitan Lane West Boring Canal Road Patna vide Affidavit no. 2146 dated 26.02.2018 shall be known as Anubhuti Choudhary.

Kumari Anubhuti Pandey.

_____

No. 730—I, Jayanti D/O Sri Arun Kumar Singh, R/O Vill.-Rajpur,P.O.-Dharmshala, P.S.-Paraiya, Distt.-Gaya 824236, Bihar at Present Residence Basant Vihar Colony, Ambedkar path, Near Binda Vatika Marriage Hall, Khajpura,Patna-800025, Do here by declare with Vide Affidavit No.-2148, Dated 23.04.2018 that now Onwards I shall be known as Jayanti Singh for all the future purposes.

Jayanti.

_____

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वाराप्रकाशित

सं0 कारा/नि0(प्रोबेशन)–01/2016––2530

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

19 अप्रील 2018

श्री कुमार अभिनव, बिहार प्रोबेशन सेवा, तत्कालीन प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति जिला प्रोबेशन कार्यालय, किशनगंज) के विरूद्ध अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, चुनाव ड्यूटी को नजरअंदाज करने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 155 दिनांक 05.05.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री अभिनव के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4955 दिनांक 12.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4234 दिनांक 02.08.2017 के द्वारा श्री अभिनव को निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया :–

(i) निंदन की सजा।

(ii) पांच (05) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड।

3. उक्त आरोप प्रकरण में श्री अभिनव दिनांक 05.05.2016 से 01.08.2017 तक निलंबित रहें। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के उप नियम–5 में विहित प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 6891 दिनांक 05.12.2017 द्वारा श्री अभिनव से अभ्यावेदन की माँग की गई, कि क्यों नहीं इस आशय का निर्णय लिया जाय कि निलंबन अवधि के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। श्री अभिनव का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने पर पुनः विभागीय ज्ञापांक 1531 दिनांक 09.03.2018 के द्वारा उन्हें अंतिम रूप से स्मारित भी किया गया। परन्तु श्री अभिनव का अभ्यावेदन अप्राप्त रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री अभिनव को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

4. समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री अभिनव के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत् पालन करते हुए उन्हें उपरोक्त दण्ड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री अभिनव का निलम्बन औचित्यपूर्ण था जिसके लिए उन्हें दण्डित किया गया है।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विश्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के उपनियम (7) एवं (8) के आलोक में निर्णय लिया गया है कि श्री कुमार अभिनव, बिहार प्रोबेशन सेवा, तत्कालीन प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति जिला प्रोबेशन कार्यालय, किशनगंज) को निलंबन अवधि (दिनांक 05.05.2016 से 01.08.2017) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(विविध)–10–14/2015––2872

संकल्प

10 मई 2018

श्री प्रताप नारायण सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत्त उप महानिरीक्षक (सुधार), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के विरूद्ध उनके मंडल कारा, जमुई में पदस्थापन काल में बंदी नरेश यादव की इलाज में लापरवाही के फलस्वरूप दिनांक 11.04.2010 को सदर अस्पताल, जमुई में इलाज के दौरान हुई मृत्यु की घटना में बरती गई लापरवाही, कर्त्तव्योपेक्षा एवं प्रशासनिक विफलता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 888 दिनांक 09.02.2016 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 327 अनु0 दिनांक 28.07.2017 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 5043 दिनांक 06.09.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। तद्आलोक में श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक 6398 दिनांक 09.11.2017 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :–

'' वर्त्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से दो वेतनवृद्धि घटाकर वेतन की अवनति का दंड जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर पड़ेगा ''।

4. **उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 10 दिनांक 02.01.2018 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2599 दिनांक 25.01.2018 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।**

5. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 655 दिनांक 30.01.2018 द्वारा श्री प्रताप नारायण सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई, सम्प्रति सेवानिवृत्त उप महानिरीक्षक (सुधार), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

'' वर्त्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से दो वेतनवृद्धि घटाकर वेतन की अवनति का दंड जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर पड़ेगा ''।

6. श्री सिंह द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 655 दिनांक 30.01.2018 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि बिना उनसे बयान लिये, बिना पूछताछ किये हीं यह मान लेना कि बंदी नरेश यादव की मृत्यु एक मात्र उनकी लापरवाही से हुई है, यह कहाँ तक न्यायोचित है। उन्होंने यह भी लिखा है कि द्विसदस्यीय जांच समिति ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह माना है कि कारा चिकित्सक द्वारा उसका पूर्ण शारीरिक परीक्षण/जांच नहीं किया गया और न ही बंदी की चिकित्सा की यथोचित कार्रवाई हेतु परामर्श ही दिया गया। श्री सिंह द्वारा कारा हस्तक के नियमों के आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेवार व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि नये बंदी के प्रवेश का दायित्व सामान्यतः कारापाल का ही होता तथा किसी नये प्रवेश पाये बंदी का पूर्ण शारीरिक जांच करना कारा चिकित्सक का दायित्व है जो उनके द्वारा नहीं किया गया। यह कारा चिकित्सक की लापरवाही तथा कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है। उनके द्वारा कारा के मैनेजमेन्ट में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। उन्होंने दिनांक 03.04.2010 से 11.04.2010 तक के विभिन्न अवधि का उल्लेख करते हुए कहा है कि पता नहीं द्विसदस्यीय जांच समिति द्वारा किस आधार पर उक्त अवधि में कारा के अन्दर उन्हें अनुपस्थित बता दिया गया है, जबकि उसी प्रवेश पंजी में उक्त अवधि में वे कारा में उपस्थित रहें है। कारा के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए इसी पंजी की प्रविष्टि को सही माना गया है, जबकि इसी पंजी में उनकी प्रविष्टि को मान्यता नहीं दी जा रही है। इस संबंध में उनका कहना है अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रासंगिक समीक्षा संकल्प की कंडिका–4 में अंकित है ''संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार अधीक्षक की लापरवाही के कारण ही बंदी नरेश यादव की मृत्यु हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ आदेश दिया है, वह इसी मृत्यु से जनित परिणाम है।'' उन्होंने यह माना है कि उक्त आदेश इस मृत्यु से जनित है परन्तु यह मृत्यु उनकी लापरवाही के कारण नहीं बल्कि तत्कालीन कारा चिकित्सा पदाधिकारी के कारण हुई और दोषी उन्हें मान लिया गया जो न्यायसंगत नहीं है।

7. श्री सिंह के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा द्विसदस्यीय जांच समिति को दोषपूर्ण बताया गया है जो सर्वथा अनुचित है। कारा हस्तक नियमों का उल्लेख करते हुए यह कहना कि प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग पदाधिकारी जिम्मेवार है, यह उनकी कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का द्योतक है, क्योंकि कारा हस्तक के नियम 60 एवं 61 के प्रावधानों के तहत काराधीक्षक संपूर्ण कारा के

नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी होते है। श्री सिंह द्वारा कारापाल तथा कारा चिकित्सक को दोषी मानकर सिर्फ अपने आप को बचाने का प्रयास मात्र है।संयुक्त जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 03.04.2010 से दिनांक 11.04.2010 तक उपाधीक्षक/सहायक अधीक्षक प्रतिदिन कारा में जाते रहे हैं, परन्तु संबंधित अभिलेखों में काराधीक्षक द्वारा कारा के अंदर जाने का उल्लेख नहीं पाया गया है। आरोपित पदाधिकारी ने अपने बचाव में कारा हस्तक नियम का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बंदी प्रवेश में अधीक्षक की कोई जबावदेही नहीं है। संचालन पदाधिकारी ने तार्किक रूप से बताया है कि तीसरा आरोप पूर्व के दोनों आरोपों के उपर एक निष्कर्ष स्वरूप आरोप है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रतिवेदन के अनुसार काराधीक्षक की लापरवाही के कारण ही बंदी नरेश यादव की मृत्यु हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी आदेश दिया है वह इसी मृत्यु से जनित परिणाम है। उनके द्वारा अपने बचाव के पक्ष में कुछ न कह कर सिर्फ जबावदेही से बचने का प्रयास मात्र किया गया है। अतः श्री सिंह का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

8. **उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रताप नारायण सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई (सम्प्रति सेवानिवृत्त उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना)के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

———————

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)–1–14/2017—319

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

संकल्प

25 जनवरी 2018

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्का0 जिला अवर निबंधक, भोजपुर सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शिवहर के विरूद्ध METHODIST CHURCH OF INDIA (MCI) केसरे हिन्द के जमीन की अवैध विक्री कर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिलता बरतना, एक ही पत्र सं0–1068 दिनांक 28.09.2016 द्वारा दो भिन्न प्रस्ताव समर्पित किया जाना, बीबी जान वक्फ की 12 बीघा जमीन का अवैध निबंधन करना, मार्टिन रेलवे की जमीन का अवैध निबंधन, शमशान घाट के लगभग एक बीघा जमीन का अवैध निबंधन करना, किराया की राशि का भुगतान नहीं करना, अभिलेखागार के अभिलेख में छेड़–छाड़ कर जालसाजी तथा गलत कार्य करना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल आचरण करने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रमोद कुमार सिंह के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार पटना से जॉच कराने के प्रस्ताव में मा0 मुख्यमंत्री, बिहार की सहमति प्राप्त है।

4. श्री प्रमोद कुमार सिंह के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे।

5. श्री प्रमोद कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

———————

सं0 8/आ0 (राज0उ0)–2–21/2015—363

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

30 जनवरी 2018

विभागीय संकल्प संख्या–1489 दिनांक 16.03.2016 द्वारा श्री अरूण कुमार मिश्र, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद कटिहार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही–19/2016 में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, प्रभारी संयुक्त आयुक्त उत्पाद के दिनांक 31.01.2018 से सेवा निवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर श्री श्री श्रीकृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद (मुख्यालय) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. संकल्प की अन्य शर्त्ते यथावत रहेगी।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

———————

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)–1–25/2013––627

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

———————

संकल्प

22 फरवरी 2018

मो0 कमाल अशरफ, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भागलपुर के विरूद्ध उनके निवास एवं अन्य ठिकानों की जॉच एवं तलाशी में उनके द्वारा प्रत्यानुपातिक धर्नाजन का ठोस साक्ष्य मिलने के फलस्वरूप आर्थिक अपराध इकाई , बिहार, पटना द्वारा थाना कांड सं0–23/2013 दिनांक 18.06.2013, धारा 2013(2) सह पठित धारा–13 (1) (ई) भ0 नि0 अधिनियम दर्ज की गई है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19, 14 एवं 3 का घोर उल्लंघन आदि आरोप विनिर्दिष्ट है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में वर्णित है।

2. उक्त आरोप में संकल्प संख्या–1071 दिनांक 09.03.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना संख्या–4391 दिनांक 10.10.2014 द्वारा मो0 अशरफ को सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–22076/14 में दिनांक 08.11.2017 द्वारा पारित न्याय निर्णय में उक्त आदेश को निरस्त करते हुए विभाग को पुनः विभागीय कार्यवाही अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से शुरू करने हेतु निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. विभागीय जॉच आयुक्त से जॉच कराने के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

3. मो0 कमाल अशरफ के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री काशी कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे।

3. मो0 अशरफ से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
देवकीनंदन दास, उप–सचिव।

———————

निर्वाचन विभाग

———————

अधिसूचना

16 मई 2018

सं0 **ई2–35/2003–2212**––श्री अनिल कुमार राय (बिहार निर्वाचन सेवा), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेतिया अनुमंडल, पश्चिमी चम्पारण संप्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर के विरूद्ध जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण के पत्रांक–616 दिनांक 16.11.2008 द्वारा प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित आरोपों–(i) जिला अधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना एवं कार्यों के प्रति उदासीनता बरतना (ii) निर्वाचन कार्य में जानबूझ कर बाधा उत्पन्न करना, अवकाश अवधि समाप्त होने के बाद भी मुख्यालय से बाहर रहना (iii) निर्वाचन से संबंधित संचिका जानबूझ कर आवास में रखना एवं कार्यों में बाधा उत्पन्न करना (iv) ऐच्छिक रूप से अनाधिकृत अवकाश में रहना एवं (v) वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना, जानबूझ कर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा समायनुसार संचिका उपस्थापित नहीं करना के लिए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। निर्वाचन विभाग, बिहार के पत्रांक 6212 दिनांक 01.05.2009 के माध्यम से प्रतिवेदित आरोप पत्र की छायाप्रति भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को भेजते हुए श्री अनिल कुमार राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव में आयोग की सहमति का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 434/BR-HP/2009-1564 दिनांक 15.05.2009 द्वारा अनापत्ति संसूचित की गयी। तदोपरान्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर विभागीय स्तर पर प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर

साक्ष्य सहित विभागीय पत्रांक 1086 दिनांक 23.03.2015 के माध्यम से श्री अनिल कुमार राय (बिहार निर्वाचन सेवा), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेतिया अनुमंडल, पश्चिमी चम्पारण संप्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को भेजते हुए उनसे आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री अनिल कुमार राय द्वारा पत्रांक 311 दिनांक 08.04.2015 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक 1483 दिनांक 17.04.2015 के माध्यम से श्री अनिल कुमार राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण को भेजते हुए उनसे मंतव्य की अपेक्षा की गयी। विभागीय पत्रांक 1901 दिनांक 19.05.2015, पत्रांक 2718 दिनांक 25.06.2015, पत्रांक 3350 दिनांक 23.07.2015 एवं पत्रांक 3733 दिनांक 30.09.2016 द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण को बारम्बार स्मारित करने के वाबजूद अपेक्षित मंतव्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में विभागीय स्तर पर संबंधित मामले की समीक्षा उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री अनिल कुमार राय के विरूद्ध कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप अंशतः प्रमाणित पाया गया।

उक्त के आलोक में श्री अनिल कुमार राय (बिहार निर्वाचन सेवा), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेतिया अनुमंडल, पश्चिमी चम्पारण, संप्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 में अंकित लघु शास्तियों में से एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 464/ES-I/BR/2017-315 दिनांक 08.05.2018 की सहमति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है–

(i) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अनिल कुमार राय (बिहार निर्वाचन सेवा), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेतिया अनुमंडल, पश्चिमी चम्पारण संप्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को

(i) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नवल किशोर शर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सहायक सचिव।

———————

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

———————

अधिसूचनाएं

20 अप्रील 2018

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)–02–37/2013–1434––श्री अंजनी कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद के विरूद्ध महालेखाकार के प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं कराने एवं उत्पाद दुकानों का विखंडन विलंब से करने के कारण 93.69 लाख रू0 की राजस्व क्षति के मामले में विभागीय संकल्प सं0–44 दिनांक 06.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. अपर सदस्य राजस्व पर्षद सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त बिहार पटना, द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–445 दिनांक 08.09.2017 द्वारा समर्पित किया गया है, जिसमें तीनों आरोपों को प्रमाणित बताया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18 (3) के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक–4094 दिनांक 25.09.2017 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान मॉग की गयी।

4. श्री सिन्हा को प्रेषित पत्र वापस लौट जाने के कारण इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया परन्तु इनके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपना बचाव वयान समर्पित नहीं किया गया।

5. अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43 ('क') प्रावधान के अन्तर्गत उनके पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–4852 दिनांक 04.12.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/अभिमत प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–86 दिनांक 11.04.2018 द्वारा सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव में अपना सहमति संसूचित की गई है।

6. उक्त के आलोक में श्री अंजनी कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद सिवान सम्प्रति सेवा निवृत्त के बिहार पेंषन नियमावली 1950 के नियम 43 ('क') के प्रवाधान के अंतर्गत उनके पेंशन से 20% (बीस) प्रतिशत राशि अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा एतद् द्वारा विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

———————

19 अप्रील 2018

सं0 8/आ0(राज0उ0)–2–20/2015–1404––श्री राकेश कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, बेतियाके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में ससमय अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व क्षति, विभागीय नियमों की अनदेखी एवं पद का दुरूपयोग कर राजस्व की क्षति पहुॅचाना तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का

उल्लंघन करना आदि आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या–3033 दिनांक 27.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में विहित प्रकिया पूर्ण कर तथा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना सं0–5068 दिनांक 20.12.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (vi) के तहत् 05 (पॉच) वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोकने तथा देय तिथि से 05 (पॉच) साल तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. श्री कुमार द्वारा उनके विरूद्ध पारित दण्डादेश पर पुनर्विचार करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया।

3. श्री कुमार का नियुक्ति प्राधिकार राज्य सरकार है तथा राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील अनुमत नहीं है।

4. श्री कुमार के प्राप्त आवेदन की समीक्षा की गयी। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 तक कुल रू. 2,21,96,761/– (दो करोड़ इक्कीस लाख छियानवे हजार सात सौ एकसठ रूपये) अनुज्ञाशुल्क के रूप में अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं करने के कारण एक बड़ी राशि से सरकार को बंचित रहना पड़ा। यदि इनके द्वारा बिहार उत्पाद विक्री अधिसूचना 2007 के प्रावधानों का पालन किया जाता तो अनुज्ञाधारियों के पास इतनी बड़ी राशि लंबित नहीं रहती। अतः उनके द्वारा नियमों एवं प्रकियाओं का उल्लंघन करते हुए दुकानों को चलते रहने दिया गया तथा ससमय अनुज्ञप्तियों को विखंडित नहीं किया गया। उक्त के आलोक में श्री कुमार पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है। अतएव श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रावधानों के आलोक में पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

———————

6 मार्च 2018

सं0 9/आ0अरा0उ0–04–20/2012–765––श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत द्वारा श्री राजीव रंजन परिवादी से ₹5000/– (पांच हजार) रूपये घूस लेने के आरोप में निगरानी धावा दल द्वारा निगरानी थाना कांड सं0–122/2007 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आरोप में श्री चौरसिया को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 (c) के अंतर्गत शत प्रतिशत स्थायी रूप से उनके पेंशन को जप्त करने का दंडादेश विभागीय अधिसूचना संख्या–2741 दिनांक 27.06.2014 द्वारा अधिरोपित किया गया है, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 24. 06.2014. को हुई बैठक में मद संख्या–20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. श्री चौरसिया के सेवा काल में विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं हुआ और इसी बीच वे दिनांक 30.11. 2012 को सेवा निवृत्त हो गये जिसके फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक–3100 दिनांक 07.05.2013 द्वारा उन्हें 90% औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। श्री चौरसिया द्वारा शत प्रतिशत पेंशन की राशि, ग्रेच्युटी, छुट्टी वेतन के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सं0–सी0डब्लू0जे0सी0सं0–17335/2013 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2014 को आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार 03 (तीन) माह के अन्दर पेंशन की शेष 10 % राशि, अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान तथा ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया गया। जो निम्नवत् हैः–

" Accordingly, this petition stands allowed and the respondent no.2 Concerned respondents are directed to sancton 10 % remaining pension, leave encashment as well as gratuity to the petitioner within three months from the date of receipt /production of a copy of this order and after the above stated sanction the respondent no. 6 shall ensure issuance of authority Slip/PPO within a month from the date of receipt of sanction order.

However, it is made clear that the State Government may take legal steps against the petitioner in accordance with Rules, if the petitioner is found guilty in departmental proceeding or in judicial proceeding.

3. उक्त न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने पर इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में MJC No- 3865/14 दायर किया गया। विभाग द्वारा उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0संख्या– 491/2015 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा दायर एल0पी0ए0सं0– 491/2015 एवं आई0ए0सं0–2189/2015 को दिनांक 18.05.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया। माननीय न्यायालय का आदेश निम्न प्रकार हैः–

" We have heard learned counsel for the parties and find that the order of withholding of part pension, Leave Encashment and Gratuity even during the pendency of disciplinary proceeding was legally not sustainable and has been rightly set aside by the learned single Bench. But since now an order has been passed withholding of 100 % pension, we find that the

appeal is rendered infructuous, consequently, it is dismissed. I. A No. 2189 of 2015 also stands dismissed.

4. सी0डब्लू0जे0सी0सं0–17325/13 में पारित न्यायादेश दिनांक 05.05.2014 एवं एम.जे.सी.सं0–3865/14 तथा विभाग द्वारा दायर एल.पी.ए. –491/15 के संदर्भ में अपर महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना के पत्र संख्या–2112 दिनांक 13.03.2015 में दिये गये निदेश के अनुपालन में अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद राशि की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक–1051 दिनांक 16.03.2015 द्वारा की गयी।

5. विभागीय अधिसूचना सं0–2741 दिनाक 27.06.2014 द्वारा शत प्रतिशत स्थायी रूप से जप्त पेंशन के विरूद्ध श्री चौरसिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO–14540/14 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त आदेश को न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर उक्त आदेश को अनुचित मानते हुए दिनांक 02.11.2017 को निम्न प्रकार आदेश पारित किया गया है :–

" The order of the disciplinary authority is, admittedly, in violation of the Rules and the procedure meant for holding departmental enquiry and gives powers to the disciplinary to inflict punishment in accordance with law. Therefore, the violation of the procedure established under the Rules amounts to violation of principle of natural justice and the same vitiates the order of the disciplinary authority. Therefore, the order dated 27.06.2014, as contained in Memo No, 2741, issued under the signature of the Deputy Secretary , Excise & Prohibition Department, Government of Bihar, is palpably illegal and fit to be set aside.

In the result, the writ petition is allowed and the order, dated 27-06-2014, as contained in Memo No. 2741 (Annexure 13) is set aside.

6. माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–14540/2014 में दिनांक 02.11.2017 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विधि विभाग, बिहार का परामर्श प्राप्त करते हुए दिनांक 01.02.2018 को LPA दायर किया गया है, जो विचाराधीन है।

7. सी0डब्लू0जे0सी.0नं0–17325/14 में श्री चौरसिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0–3865/2014 दायर किया गया। उक्त एम0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2018 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें 04 (चार) सप्ताह के अन्दर मामले का निष्पादन करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। निष्पादित नहीं होने की स्थिति में गलती के परिणाम को भुगतने का निर्देश है। माननीय न्यायालय का आदेश निम्नप्रकार हैः–

" However, in view of the request made by the learned counsel for the opposite parties , four weeks time is granted to the opposite parties making it clear that if the opposite parties particularly, opposite party nos.2 and 3 failed to comply with the order/direction of this Court within the above stated period, they shall face consequences of their fault.

8. इस सबंध में महाधिवक्ता, बिहार द्वारा अपने पत्रांक–1599 दिनांक 13.07.2018 द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन करते हुए कारण पृच्छा दायर करने का अनुरोध किया गया है।

9. श्री चौरसिया के विरूद्ध वर्ष 2007 से 2014 तक एक लंबी अवधि तक विभागीय कार्यवाही की प्रकिया चलती रही तथा उक्त अवधि में तीन बार संचालन पदाधिकारी बदले गये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री चौरसिया द्वारा दायर किये गये उपर्युक्त तीन वादों में उनके पक्ष में न्यायादेश पारित हुआ है। विभाग द्वारा दायर एक एल0पी0ए0–491/15 निरस्त हो चुका है तथा दूसरे एल0पी0ए0 जो सी0डब्लू0जे0सी0सं0–14540/14 में दिनांक 02.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। इसमें आदेश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0–3865/2014 में दिनांक 24.01.2018 को कड़ा रूख अपनाते हुए 04 (चार) सप्ताह के अंतर्गत न्यायादेश का अनुपालन करने का न्याय निर्णय दिया गया है।

10. अतएव पूर्ण विचारोपरान्त श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No. 17325/13 में दिनांक 05.05.2014 एवं C.W.J.C. No. 14540/14 में दिनांक 02.11.2017 तथा M.J.C. No. 3865/14 में दिनांक 24.01.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु उनके विरूद्ध संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं0–2741 दिनांक 27.06.2014 को निरस्त करते हुए शत् प्रतिशत पेंशन के भुगतान करने की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि याचिका संख्या–14540/2014 में दिनांक 02.11.2017 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 01.02.2018 को दायर एल0पी0ए0 के न्यायादेश से प्रभावित होगी, इस पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.03.2018 को मद संख्या–13 के रूप में इसकी स्वीकृति प्रदान दी गयी है।

12. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

27 फरवरी 2018

सं० 8/आ0 (मु0राज0उ0)–6–02/2014–693––श्री आनन्द कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, अररिया सम्प्रति सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास द्वारा दिनांक 13.09.2012 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भोजन अवकाश के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के विरूद्ध अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के आरोप में अधिसूचना सं0–4576 दिनांक 21.09.2012 द्वारा दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया था। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0जे0सी0नं0–19778/2012 दायर किया गया। दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त दण्डादेश को निरस्त करते हुए पुनः संकल्प सं0–1845 दिनांक 29.07.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री कुमार के विरूद्ध आरोपो को आंशिक रूप से प्रमाणित पाते हुए लघु दण्ड के रूप में विभागीय अधिसूचना सं0–2197 दिनांक 27.05.2014 द्वारा दो वेतन वृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया। श्री कुमार द्वारा पुनः सी0डब्लू0जे0सी0नं0–11128/2014 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2017 को आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय दण्डादेश सं0–2197 दिनांक 27.05.2014 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि विभागीय कार्यवाही त्रृटिपूर्ण एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत का उल्लंघन किया गया है। न्यायादेश निम्नप्रकार हैः–

"Since the said order of punishment suffers from procedural lapse and been passed in violation of principles of natural justice, the same cannot be sustained and is quashed."

2. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना सं0–2197 दिनांक 27.05.2014 को निरस्त किया जाता हैं।

3. इसमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

––––––––

23 फरवरी 2018

सं0 8/आ0 (राज0नि0)उ0–1–04/2018–655––श्री सरोज कुमार सिन्हा, जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–45/गो0 दिनांक08.02.2018 द्वारा अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति गम्भीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रतिवेदित करने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1)(क) के तहत् उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय–निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
देवकीनन्दन दास, उप–सचिव।

––––––––

11 दिसम्बर 2017

सं0 8/आ0(राज0नि0)–1–39/2014–4921––श्री निलेश कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक दानापुर सम्प्रति जिला अवर निबंधक हाजीपुर के विरूद्ध आरोप सं0–1 पक्के मकान को परती जमीन दिखाकर वसीका संख्या–2636 दिनांक 05.04. 2008 को निबंधित कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुॅचाना, आरोप सं0–2 कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतना तथा आरोप सं0–3 सरकारी सेवक के लिए निधारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करना आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–191 दिनांक 12.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–528 दिनांक 01.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–01, 02 एवं 03 को प्रमाणित नहीं बताया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–4029 दिनांक 24.08.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 18 (3) के अंतर्गत श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. विभागीय पत्रांक–262 दिनांक 20.01.2017 एवं 2929 दिनांक 10.07.2017 द्वारा स्मारित करने के बावजूद श्री कुमार अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं कर सके।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा जानबुझ कर भुमि की प्रकृति को परती उल्लेखित कर राजस्व क्षति पहुॅचायी गयी है। परिवाद पत्र प्राप्त होने के पश्चात 47A के तहत संदर्भित कर रू0 1,36,640/– (एक लाख छत्तीस हजार छः सौ चालिस) कमी मुद्रांक की बसूली की गयी है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि राजस्व क्षति के मामले में श्री कुमार दोषी है। अतएव वृहत दण्ड के रूप में बिहार सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम –14 (VI) के अंतर्गत तीन वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. विभागीय पत्रांक–3916 दिनांक 08.09. 2017 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2005 दिनांक 14.11.2017 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है।

7. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री निलेश कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, दानापुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (vi) के तहत् 03 (तीन) वार्षिक वेतनवद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

————————

11 दिसम्बर 2017

सं0 8/आ0(राज0नि0)–1–01/2015–4911––श्री संजय कुमार ग्वालिया, तत्का0 जिला अवर निबंधक, कटिहार सम्प्रति जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आरोप सं0–01 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना तथा जिला समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंघन करना, आरोप सं0–02 पद का दुरूपयोग कर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बिना वैधानिक राय प्राप्त करना एवं आरोप सं0–03 कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता बरतते हुए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधान के प्रतिकूल आचरण करना आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–2229 दिनांक 14.05.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) के गै0स0प्रे0सं0–126 दिनांक 20.03.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या–1 एवं 2 को प्रमाणित बताया गया है तथा आरोप संख्या–3 को प्रमाणित नहीं बताया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–2251 दिनांक 24.04.2017 द्वारा श्री ग्वालिया से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. श्री ग्वालिया द्वारा अपने पत्रांक–279 दिनांक 08.05.2017 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें आरोप को पूर्णतः अमान्य बताते हुए आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री ग्वालिया से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना एवं समाहर्त्ता के द्वारा दिये गये निदेशों का पालन नहीं करने जैसे गंभीर आरोप के संबंध में श्री ग्वालिया से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्री ग्वालिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 14 (vi) के अंतर्गत 04 (चार) वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. विभागीय पत्रांक–3915 दिनांक 08.09.2017 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2003 दिनांक 14.11.2017 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त की गयी है।

7. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री संजय कुमार ग्वालिया, तत्का0 जिला अवर निबंधक, कटिहार सम्प्रति जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (vi) के तहत् 04(चार) वार्षिक वेतनवद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

————————

18 दिसम्बर 2017

सं0 8/आ0(राज0नि0)–1–50/2016–5022––श्री पंकज कुमार बसाक, तत्का0 अवर निबंधन उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) सम्प्रति अवर निबंधक फुलवरिया (गोपालगंज) के विरूद्ध गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त करना एवं निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में विलंभ से योगदान देना तथा प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज नही करना आदि आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या–4192 दिनांक 05.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) के गै0स0प्रे0सं0–874 दिनांक 03.11.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। आरोप संख्या–01 के संबंध में निष्कर्षित किया गया है कि आरोप सं0–1 जो गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त करने से संबधित है, का मुख्य आधार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–16950 दिनांक 09.12.2016 है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आरोपी पदाधिकारी द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–10973/2015 में दिनांक 22.02.2016 को पारित आदेश द्वारा निरस्त (Set aside) कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक–3435 दिनांक 21.07.2016 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि

आरोपी पदाधिकारी द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–10973/2015 में दिनांक 22.02.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा LPA भी दायर किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उच्च स्तरीय विभागीय निर्णय अपेक्षित प्रतीत होता है। आरोप संख्या–02 को प्रमाणित बताया गया है।

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपने न्यायादेश दिनांक 23.08.2017 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–10973/2015 से उद्भूत दायर एल0पी0ए0सं0–794/2014 को निरस्त कर दिया गया है इस आधार पर आरोप सं0–01 पर कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नही होता है। विभागीय अधिसूचना सं0–677 दिनांक 04.02.2016 द्वारा श्री बसाक को निलंबित किया गया था, जिके विरूद्ध श्री बसाक द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10320/2016 में दिनांक 28.10.2016 को पारित न्यायादेश में उक्त निलंबन अधिसूचना को निरस्त करते हुए रद्द कर दिया गया था। उक्त आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2885 दिनांक 05.07.2017 द्वारा श्री बसाक के दिनांक 04.02.2016 से दिनांक 30.12.2016 तक की निलबंन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जा चुका है तथा वास्तविक भुगतान भी किया जा चुका है। उक्त आलोक में आरोप संख्या–2 पर भी कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना से प्राप्त न्यायादेश के आलोक में श्री बसाक को दोष मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

———————

18 दिसम्बर 2017

सं0 8/आ0(राज0उ0)–2–01/2015–5023—विभागीय अधिसूचना संख्या–2070 दिनांक 03.04.2017 द्वारा श्रमती रेणु कुमारी सिन्हा, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, सारण को अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कार्यालय की रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं रखने और अभिलेखों का रख–रखाव समुचित तरीके से नहीं करने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। श्रीमती सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी सारण के मंतव्य से सहमत होते हुये श्रीमती सिन्हा को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

———————

20 दिसम्बर 2017

सं0 8/आ0(राज0उ0)–2–20/2015–5068—श्री राकेश कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, बेतियाके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में ससमय अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व क्षति, विभागीय नियमो की अनदेखी एवं पद का दुरूपयोग कर राजस्व की क्षति पहुॅचाना तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन करना आदि आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या–3033 दिनांक 27.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णियॉ प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा अपने पत्रांक–43 दिनांक 26.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध अधिरोपित तीनों आरोपो को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–4196 दिनांक 05.09.2016 द्वारा श्री कुमार से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. दिनांक 07.03.2017 को श्री कुमार द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा सभी आरोपो को अस्वीकार करते हुए उल्लेखित किया गया है कि कटिहार जिला में देशी शराब का MGQ अधिक निर्धारित होने से दुकानों की बंदोवस्ती, निकासी/उठाव में कठिनाई होती थी, दुकानो को यदि नियमानुसार ससमय विखंडित किया जाता तो जिले की अधिकांश दुकाने विखंडित हो जाती, तो पुनः उनकी बंदोवस्ती की संभावना काफी क्षीण हो जाती। अतएव श्री कुमार द्वारा उक्त आधार पर आरोपो से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा निष्कर्षित किया गया कि यद्यपि राशि की वसूली हेतु उनके द्वारा निलाम पत्र वाद दायर किया गया है परन्तु उनके द्वारा विभागीय वित्तीय नियमों का अनुपालन न कर उसकी अनदेखी की गयी जिसके कारण कुल राशि 2,21,96,761/– (दो करोड़ इक्कीस लाख छियानवे हजार सात सौ एकसठ) रूपये की सरकारी राजस्व की वसूली लंबित है। आरोप की गम्भीरता के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 14 (vi) के अंतर्गत पॉच वेतन वृद्धियॉ संचयी

प्रभाव से रोकने तथा देय तिथि से 05 (पांच) साल तक प्रोन्नति पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया जिस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

6. विभागीय पत्रांक–2896 दिनांक 06.07.2017 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक–2004 दिनांक 14.11.2017 द्वारा 05 (पॉच) वेतन वृद्विया को संचयी प्रभाव से रोकने संबंधी दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त की गयी है।

7. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री राकेश कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, बेतियाको बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (vi) के तहत् 05 (पॉच) वार्षिक वेतनवद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोकने तथा देय तिथि से 05 (पांच) साल तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

————————

3 जनवरी 2018

सं0 8/आ0(राज0उ0)–2–28/2016–15––श्री बृजबिहारी सिंह, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद पश्चिम चम्पारण के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करना एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करना आदि आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या–4193 दिनांक 05.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय अधिसूचना संख्या–5718 दिनांक 11.11.2016 द्वारा उक्त विभागीय उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री सिंह के बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(v) के तहत ''**तीन वार्षिक वेतनवृद्वियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड**'' अधिरोपित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1488/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका में दिनांक 13.10.2017 को पारित न्यायादेश में विभागीय अधिसूचना सं0–5718 दिनांक 11.11.2016 को निरस्त करते हुये नये सिरे से संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराकर नियमानुसार निष्पादन करने हेतु निदेशित किया गया है। उक्त न्यायादेश का अनुपालन करने हेतु अधिसूचना सं0–5718 दिनांक 11.11.2016 को निरस्त किया जाता है।

4. इस पर समक्ष प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

————————

2 जनवरी 2018

सं0 9/आ0(राज0)(उ0)–02–06/2012–09––श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद संप्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को बिहार, सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–09(1) (क एवं ग) में निहित प्रावधानों के अतंर्गत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उपायुक्त उत्पाद, का कार्यालय, पटना–सह–मगध प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता हैं।

3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के अन्तर्गत जीवन निर्वहन भता अनुमान्य होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

————————

28 दिसम्बर 2017

सं0 9/आ0(राज0)(उ0)–02–06/2012–5192––श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद मुजफफरपुर को 10,000/–रू0 (दस हजार रू0) घूस लेने के आरोप में निगरानी धावादल द्वारा निगरानी थाना कांड सं0–069/2009 दर्ज कर न्यायायिक हिरासत में भेजे जाने एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–086/2009 दर्ज किये जाने के आरोप में श्री कुमार, को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 यथासंशोधित 2007 के नियम–14(xi) के प्रावधान के अतंर्गत विभागीय अधिसूचना सं0–2744 दिनांक 27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया था।

2. श्री कुमार, द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0–18674/15 दायर किया गया जिसपर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2017 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया हैः–"Having regard to the facts discussed above, this writ petition is allowed and the impugned order dated 27.06.2014 (Annexure-22) is set aside. The matter is remitted

to the disciplinary authority ot proceed a fresh from the stage of asking second show cause and pass order in accordance with law within a period of four months from the date of receipt of this order"

3. विधि विभाग से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की विधिक्षा करायी गयी तथा विधि विभाग के परामर्श के अलोक में द्वितीय कारणपृच्छा कर तार्किक आदेश पारित करने हेतु विभागीय अधिसूचना सं0–2774 दिनांक 27.06.2014 को निरस्त करते हुये पुनः श्री कुमार, को सेवा में बहाल करने का निर्णय लिया गया जिसपर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27.12.2017 की बैठक में मद सं0–03 के रूप में श्री कुमार, को सेवा से बर्खास्तगी हेतु संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं0–2744 दिनांक 27.06.2014 को निरस्त करते हुये पुनः सेवा में बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

4. अतएवं उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, (संप्रति सेवा से बर्खास्तगी) के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं0–2744 दिनांक 27.06.2014 को निरस्त करते हुये पुनः उन्हें सेवा में बहाल किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

————————

18 जनवरी 2018

सं0 8 / आ0(राज0नि0)–01–25 / 2013–258—मो0 कमाल अशरफ, तत्का0 जिला अवर निबंधक, भागलपुर के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनके निवास एवं अन्य ठिकानों पर छापामारी कर तथा जॉच एवं तलाशी के आधार पर उनके द्वारा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामलों को ठोस साक्ष्य के आधार पर प्रतिवेदित किया गया है। उक्त आधार पर उनके विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पटना द्वारा थाना कांड संख्या–23 / 2013 दिनांक 18.06.2013 दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनकी कुल चल–अचल सम्पत्ति रू0–2,02,99,500 / – आंकलित किया गया है, उसमें से उनके वैध स्त्रोत राशि की बचत रू0–38,50,000 / – को छोड़कर आय से अधिक रू0–1,64,49,500 / – का चल–अचल सम्पत्ति प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा समर्पित वर्ष 2012–13 के चल–अचल सम्पत्ति का ब्योरा को डाउनलोड कर एवं उसका विश्लेषण कर प्रतिवेदित किया गया है कि उनके घरों की तलाशी एवं छापामारी के क्रम में उनके द्वारा अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम घोषित विवरणी में बहुत सी सम्पत्तियों को अंकित नहीं करते हुए उसे छिपाने का प्रयास किया गया है। उक्त आरोप में मो0 अशरफ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (xi) के प्रावधान के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या–4391 दिनांक 10.10.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 07.10.2014 को हुई बैठक में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. मो0 अशरफ द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO–22076 / 14 दायर किया गया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2017 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :–" Having considered the facts aforesaid, the order dated 10.10.2014 as contained in Annexure-1 and the order dated 30.09.2015 as contained in Annexure-9 are set aside. This writ petition is, accordingly, allowed. The matter is remitted to the disciplinary authority to proceed afresh in accordance with law."

3. माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–22076 / 2014 में दिनांक 08.11.2017 को पारित न्यायादेश की विधिक्षा विधि विभाग, बिहार से कराई गई तथा विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि जिला अवर निबंधक, भागलपुर मो0 कमाल अशरफ को अपने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रशासी विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाकर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जो उनके पक्ष में दिनांक 08.11.2017 को निर्णित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही को बिहार (CCA)रूल्स के नियम–14, 17 एवं 23 के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया तथा विभाग को पुनः विभागीय कार्यवाही अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से शुरू करने हेतु प्रशासी विभाग को निदेश दिया। विधि विभाग द्वारा प्रशासी विभाग को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का परामर्श दिया गया।

4. विधि विभाग के परामर्श के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–4391 दिनांक 10.10.2014 को निरस्त करते हुए पुनः मो0 अशरफ को सेवा में बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 10.01.2018 की बैठक में मद सं0–03 के

रूप में मो0 अशरफ को सेवा से वर्खास्तगी हेतु संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं0–4391 दिनांक 10.10.2014 को निरस्त करते हुये पुनः सेवा में बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मो0 कमाल अशरफ, तत्कालीन जिला अवर निबंधक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्तगी) के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं0–4391 दिनांक 10.10.2014 को निरस्त करते हुये पुनः उन्हें सेवा में बहाल किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

————————

8 फरवरी 2018

सं0 8/आ0(राज0नि0)–01–25/2013–491—माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–22076/14 में दिनांक 08.11.2017 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में मो0 कमाल अशरफ, तत्का0 जिला अवर निबंधक, भागलपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा दिनांक 17.12.2017 को मो0 अशरफ द्वारा विभाग में योगदान दिया गया है। उक्त न्यायादेश के आलोक में उनका योगदान दिनांक 17.12.2017 से स्वीकृत किया जाता है।

2. मो0 कमाल अशरफ, जिला अवर निबंधक सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–09 (1) (क एवं ग) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय–सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमंडल पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के अन्तर्गत जीवन निर्वहन भत्ता अनुमान्य होगा।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

————————

28 फरवरी 2018

सं० 8/आ0 (राज0उ0)–2–28/2016–718—श्री बृजबिहारी सिंह, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नवादा के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर कार्यो में व्यवधान उत्पन करना एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–4193 दिनांक 05.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–5718 दिनांक 11.11.2016 द्वारा तीन वार्षिक वेतनवृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0नं0–1488/2017 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2017 को निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गयाः–

" In so far as the present case is concerned. the resolution dated 05.09.2016 at Annexure P/6, whereby proceeding was initiated against the petitioner itelf confirms that the disciplinary authority has chosen to follow the exhaustive procedure of Rule 17 of 'the Rules' and thus once having exercised the discretion to follow the exhaustive procedure, the disciplinary authority cannot abandon the same midway to summarily dispose of the proceeding without following the statutory stipulation present in Rule 17. Clearly the order of penalty is dehors the procedure as according to the petitioner and not contested by the respondents, neither the copy of the enquiry report was supplied to the petitioner as mandated under Rule 18 of ' the Rules' nor the petitioner has been given liberty to represent against the enquiry report.

In the undisputed circumstances discussed, the order of penalty bearing Meno No. 5718 dated 11.11.2016 is confirmingly passed dehors the statutory procedure and thus cannot be upheld and is accordingly quashed and set aside. The matter is remitted to the disciplinary authority, is so advised, to proceed in the matter afresh from the stage of service of copy of the enquity report as mandated under Rule 18 of "the Rules" and take the matter to its logical conclusion in accordance with law.

3. उक्त न्यायदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–5718 दिनांक 11.11.2016 को अधिसूचना संख्या–15 दिनांक 03.01.2018 द्वारा निरस्त करते हुए नये सिरे से संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक–71 दिनांक 05.01.2018 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय बचाव बयान की मॉग की गयी।

4. श्री सिंह द्वारा दिनांक 18.01.2018 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया। बचाव बयान के समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप सही है और उनके द्वारा द्वितीय बचाव बयान में जो तथ्य दिया गया है वह मानने योग्य नहीं है। उनके द्वारा डॉ0 शिवनरायण साह का चिकित्सीय प्रमाण पत्र लगाया गया है, जिसमें Cervical Spondylosis से पीड़ित बताया गया है। चिकित्सीय प्रमाण पत्र में न तो कोई Treatment का उल्लेख किया गया है और न ही कोई अन्य प्रमाण है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि ये दो महीने तक वास्तव में बीमार रहे हैं और इनकी ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि ये अवकाश आवेदन को स्वीकृत कराते। अतएव द्वितीय कारण पृच्छा में प्राप्त बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुये श्री सिंह के **"तीन वेतन वृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड"** अधिरोपित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in